

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पत्रा लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 10.11.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर" अमर उजाला, हिन्दुस्तान, न्यायाधीश, परफेक्ट मिशन," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला-दि0 10.11.2025

ड्रेनेज लाइन की कराएं जांच गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई

वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने लालपुर आवासीय योजना का किया निरीक्षण

माई सिटी रिपोर्ट

वाराणसी। वीडिए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने रविवार को लालपुर आवासीय योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने ड्रेनेज कार्यों की वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ड्रेनेज लाइन, चैंबर, निकासी मार्ग, जल प्रबंधन व्यवस्था की पुनः जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। यह भी कहा कि यदि कहीं भी अवरोध, क्षति, निम्न गुणवत्ता से संबंधित तथ्य पाए जाते हैं, तो उसके विरुद्ध आवश्यक सुधारात्मक एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी।

इसके बाद योजना में उपलब्ध खाली प्लॉटों, पूर्व में किए गए निर्माण कार्यों,

निर्माण कार्य की गुणवत्ता की हुई जांच

विकसित कॉलोनी में कुछ स्थलों पर चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच भी की गई। उन्होंने संबंधित अभियंताओं को निर्देश दिए कि निर्माण की गुणवत्ता किसी भी स्तर पर कमजोर न होने पाए। निर्माण सामग्री के मानक, संरचना की मजबूती, कार्य की प्रगति और स्थल प्रबंधन जैसे सभी तत्वों को प्राथमिकता के आधार पर जांच कर स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

निर्धारित अवधि में पूरा कराएं निर्माण

जिन निर्माणकर्ताओं को निर्माण पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की गई है, उन्हें निर्धारित समयवधि के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य है। यदि कोई निर्माणकर्ता बिना अनुमति, मानचित्र के विरुद्ध या निर्धारित समय सीमा से विलंबित निर्माण करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध प्राधिकरण की नियमावली के अनुसार तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

वर्तमान में चल रहे निर्माणों की समीक्षा की गई। उपाध्यक्ष ने विशेष रूप से निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्य

स्वीकृत मानचित्र एवं भवन उपविधियों के अनुसार होने अत्यंत आवश्यक हैं। जिन निर्माण स्थलों पर मानचित्र-

विरुद्ध निर्माण या अनियमितताओं की संभावना है, वहां तत्काल निरीक्षण कर उचित विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। योजना क्षेत्र के संपूर्ण विकास को सुचारु बनाने के लिए निरीक्षण और निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

प्राधिकरण का उद्देश्य नागरिकों को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय वातावरण उपलब्ध कराना है, इसलिए सभी अधिकारी और कर्मचारी उच्चस्तरीय संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, भवन उपविधियों के अनुपालन, संरचना की उपलब्धता, प्राधिकरण के निर्धारित मानकों के अनुरूप विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा देखी गई।

हिन्दुस्तान-दि0 10.11.2025

निर्माण का हर चरण में करें निरीक्षण

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। लालपुर आवासीय योजना में चल रहे निर्माण कार्य का रविवार को वीडिए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने निरीक्षण किया। उन्होंने गुणवत्ता, भवन उपविधियों के पालन, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने ड्रेनेज लाइन, सीवर चैंबर, जल प्रबंधन व्यवस्था की फिर से जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी, अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन निर्माण स्थलों पर



लालपुर में निर्माण कार्य का रविवार को निरीक्षण करते वीडिए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा।

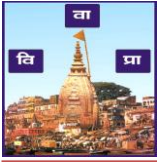
मानचित्र के विरुद्ध निर्माण या अनियमितताओं की आशंका है वहां तत्काल निरीक्षण करके उचित कार्रवाई

सुनिश्चित की जाए। सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, जेई विजय सिंह मौजूद रहे।



: vcvdavns | Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पत्रा लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

अमर उजाला-दि0 10.11.2025

उपाध्यक्ष वाविप्रा ने किया लालपुर आवासीय योजना का व्यापक निरीक्षण



वाराणसी । वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय द्वारा लालपुर आवासीय योजना का व्यापक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य योजना क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, भवन उपविधियों के अनुपालन, अधोसंरचना की उपलब्धता तथा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा किया गया। निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष महोदय ने सर्वप्रथम ड्रेनेज कार्यों की वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ड्रेनेज लाइन, चैंबर, निकासी

मार्ग तथा जल प्रबंधन व्यवस्था की पुनः जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। यह भी कहा गया कि यदि कहीं भी अवरोध, क्षति या निम्न गुणवत्ता से संबंधित तथ्य पाए जाते हैं, तो उससे विरुद्ध आवश्यक सुधारात्मक एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी। इससे पश्चात् योजना में उपलब्ध खाली प्लॉटों, पूर्व में किए गए निर्माण कार्यों तथा वर्तमान में चल रहे निर्माणों की समीक्षा की गई। उपाध्यक्ष महोदय ने विशेष रूप से निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र एवं भवन उपविधियों के अनुसार होने अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिन निर्माण

स्थलों पर मानचित्र-विरुद्ध निर्माण या अनियमितताओं की संभावना है, वहाँ तत्काल निरीक्षण कर उचित विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विकसित कॉलोनी के अंतर्गत कुछ स्थलों पर चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच भी उपाध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में की गई। उन्होंने संबंधित अभियंताओं को निर्देश दिया कि निर्माण की गुणवत्ता किसी भी स्तर पर कमजोर न होने पाए। निर्माण सामग्री के मानक, संरचना की मजबूती, कार्य की प्रगति और स्थल प्रबंधन जैसे सभी तत्वों को प्राथमिकता के आधार पर जांच कर स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया

जाए। उपाध्यक्ष महोदय ने अधिकारियों को यह भी अवगत कराया कि जिन निर्माणकर्ताओं को निर्माण पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की गई है, उन्हें निर्धारित समयावधि के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य है। यदि कोई निर्माणकर्ता बिना अनुमति, मानचित्र के विरुद्ध या निर्धारित समय सीमा से विलंबित निर्माण करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध प्राधिकरण की नियमावली के अनुसार तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि योजना क्षेत्र के संपूर्ण विकास को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक चरण पर निरीक्षण और निगरानी सुनिश्चित की जाए। प्राधिकरण का उद्देश्य नागरिकों को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय वातावरण उपलब्ध कराना है, इसलिए सभी अधिकारी और कर्मचारी उच्चस्तरीय संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। निरीक्षण के दौरान सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव श्री गुडाकेश शर्मा, अवर अभियंता श्री विजय सिंह, तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

परफेक्ट मिशन-दि0 10.11.2025

वीडीए उपाध्यक्ष ने लालपुर आवासीय योजना का किया निरीक्षण

सभी निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र एवं भवन उपविधियों के अनुसार ही हो : पूर्ण बोरा

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने रविवार को लालपुर आवासीय योजना का व्यापक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य योजना क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, भवन उपविधियों के अनुपालन, अधोसंरचना की उपलब्धता तथा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा किया।

निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने सर्वप्रथम ड्रेनेज कार्यों की वास्तविक



स्थिति का परीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ड्रेनेज लाइन, चैंबर, निकासी मार्ग तथा जल प्रबंधन व्यवस्था की पुनः जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। यह भी कहा गया कि यदि कहीं भी अवरोध, क्षति या निम्न गुणवत्ता से संबंधित तथ्य पाए जाते हैं, तो उसके विरुद्ध आवश्यक सुधारात्मक एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी। इससे

पश्चात् योजना में उपलब्ध खाली प्लॉटों, पूर्व में किए गए निर्माण कार्यों तथा वर्तमान में चल रहे निर्माणों की समीक्षा की गई। उपाध्यक्ष ने विशेष रूप से निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र एवं भवन उपविधियों के अनुसार होने अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिन निर्माण स्थलों पर मानचित्र-विरुद्ध निर्माण या अनियमितताओं की संभावना है, वहाँ

तत्काल निरीक्षण कर उचित विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विकसित कॉलोनी के अंतर्गत कुछ स्थलों पर चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच भी उपाध्यक्ष की उपस्थिति में की गई। उन्होंने संबंधित अभियंताओं को निर्देश दिया कि निर्माण की गुणवत्ता किसी भी स्तर पर कमजोर न होने पाए। निर्माण सामग्री के मानक, संरचना की मजबूती, कार्य की प्रगति और स्थल प्रबंधन जैसे सभी तत्वों को प्राथमिकता के आधार पर जांच कर स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को यह भी अवगत कराया कि जिन निर्माणकर्ताओं को निर्माण पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की गई है, उन्हें निर्धारित समयावधि के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य है। यदि कोई निर्माणकर्ता बिना अनुमति, मानचित्र के

विरुद्ध या निर्धारित समय सीमा से विलंबित निर्माण करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध प्राधिकरण की नियमावली के अनुसार तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि योजना क्षेत्र के संपूर्ण विकास को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक चरण पर निरीक्षण और निगरानी सुनिश्चित की जाए। प्राधिकरण का उद्देश्य नागरिकों को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय वातावरण उपलब्ध कराना है, इसलिए सभी अधिकारी और कर्मचारी उच्चस्तरीय संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। निरीक्षण के दौरान सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव श्री गुडाकेश शर्मा, अवर अभियंता श्री विजय सिंह, तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।



: vcvdavns



Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in